

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

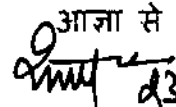
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश./ 595 /2021

दिनांक 24.02.2021

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/593/2021 दिनांक 23.02.2021 की निरन्तरता में श्रीमती अम्बिका सोलंकी (RJ0767), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जोधपुर महानगर को दिनांक 01.03.2021 से 27.08.2021 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 28.08.2021 से 30.08.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री राकेश गोयल (RJ0521), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर को श्रीमती अम्बिका सोलंकी के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जोधपुर महानगर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री राकेश गोयल (RJ0521), जिनको अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जोधपुर महानगर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/50/2013/ 1348

दिनांक 24.02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 673 दिनांक 30.01.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अम्बिका सोलंकी (RJ0767), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जोधपुर महानगर।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जोधपुर महानगर।
5. श्री राकेश गोयल (RJ0521), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार